

UPMT010052402026



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-03, मथुरा।
उपस्थिति :-डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2275/2026

लियाकत बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. अभियुक्त लियाकत पुत्र अकबर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-227/2026, धारा-191(2), 191(3), 190, 115(2), 126(2), 352, 351(3), 92 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस), थाना कोसीकलां, जिला मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 10.04.2026 को सायं लगभग 07:30 बजे मुजाहिद उर्फ साजिद पुत्र अब्दुल वहाब निवासी ग्राम नगला अलीपुर भाग ग्राम खरोट, थाना कोसीकलां, जिला मथुरा अपने 4 वर्षीय पुत्र अरहम को मोटरसाइकिल से गाँव खरोट से नगला अलीपुर ला रहा था। हक्कू के मकान के पास पहुँचने पर मुबारिक पुत्र जमील, ताहिर पुत्र इसराइल, रफीक पुत्र दीनू, लियाकत पुत्र अकबर, साहून व जुबैर पुत्रगण मुवीन, अलाउद्दीन पुत्र अख्तर तथा चार अज्ञात व्यक्तियों ने एक राय होकर लाठी-डण्डों, लोहे की सरिया व फावड़ों से लैस होकर उसे घेर लिया, रास्ता रोककर गाली-गलौज की तथा लाठी-डण्डों, लात-थप्पड़ों व घूसों से मारपीट की। शोर सुनकर सत्तार पुत्र अब्दुल वहाब, श्रीमती सुमईयाँ पत्नी आकिल तथा गाँव के अन्य लोग बचाने आए तो उक्त सभी व्यक्तियों ने उनके साथ भी लात-थप्पड़ों, घूसों, लाठी-डण्डों, लोहे की सरिया व फावड़ों से मारपीट की, जिससे 4 वर्षीय अरहम, सत्तार, श्रीमती सुमईयाँ एवं मुजाहिद उर्फ साजिद के सिर व शरीर में गंभीर चोटें आयीं। प्रार्थी ने मुबारिक, ताहिर, रफीक, लियाकत, साहून, जुबैर, अलाउद्दीन तथा चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की है।
3. उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त लियाकत व अन्य के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा- 191(2), 191(3), 190, 115(2), 126(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) थाना कोसीकलां, जिला मथुरा पर पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना धारा 92 भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) की बढोत्तरी की गई।
4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अथवा खारिज हुआ है। घटना की रिपोर्ट अति विलम्ब से एवं एन्टी टाईम्ड दर्ज करायी गयी है। घटना दिनांक 10.04.2026 को सायं 07:30 बजे की है जबकि रिपोर्ट चार दिन बाद दिनांक 14.04.2026 को दोपहर 02:00 बजे दर्ज करायी गयी तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना का कोई निष्पक्ष एवं प्राकृतिक गवाह नहीं है। चुटैल अरहम, अब्दुल सत्तार एवं सुमईयाँ को कोई गंभीर अथवा प्राणघातक चोट नहीं आयी तथा उनकी चोटें साधारण प्रकृति की पायी गयीं, जबकि सुमईयाँ को केवल दायें घुटने, दाहिने

माथे, बायें कन्धे एवं बायें कोहनी पर चोट व दर्द था और वह चेतन अवस्था में थी। मुजाहिद उर्फ साजिद को भी साधारण प्रकृति की चोटें थीं। सभी का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 11.04.2026 को सी.एच.सी. कोसीकलां में हुआ। घटना के तीन दिन बाद डा० देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा किये गये अल्ट्रासाउण्ड में 16 सप्ताह 1 दिन का एक जीवित शिशु तथा उसकी सामान्य हृदय गति पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि सुमईयों के पेट, गर्भ अथवा गर्भस्थ शिशु को कोई चोट नहीं थी। बाद में गर्भावस्था की असामान्य एवं नाजुक प्रक्रिया के दौरान गर्भस्थ शिशु की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गयी, जिसका लाभ उठाकर वादी ने पुलिस से साज करके धारा 92 बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी करा दी। घटना को बढ़ा-चढ़ाकर अन्य मुकदमों में दबाव बनाने एवं राजीनामा कराने के उद्देश्य से थाना पुलिस से मिलकर अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। मु०अ०सं० 212/2024 धारा 376 डी, 506 आई.पी.सी. व 5/6 पोक्सो एक्ट में वादिनी अनीशा पत्नी इकबाल द्वारा मसिराजुद्दीन पुत्र इलियास एवं जुनैद उर्फ जुन्नी पुत्र उस्मान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें अनीशा सह-अभियुक्त रफीक की चाची एवं ताहिर की भाभी हैं तथा उसके बयान हो चुके हैं; उसी मुकदमे में दबाव एवं राजीनामा कराने के उद्देश्य से रफीक, ताहिर एवं अन्य परिवारीजनों के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी प्रकार मु०अ०सं० 09/2026 में वादी जान मोहम्मद पुत्र इरशाद द्वारा अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें सह-अभियुक्त रफीक उसका भतीजा एवं ताहिर उसके चाचा का लड़का है, इसलिए उक्त मुकदमे में दबाव बनाने एवं राजीनामा कराने हेतु यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। घटना में किसी भी अभियुक्त का कोई विशिष्ट रोल नहीं बताया गया है तथा अभियुक्त लियाकत द्वारा कोई मारपीट करना भी नहीं बताया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है तथा दिनांक 04.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त 60 वर्षीय वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है तथा जमानत पर रिहा होने के उपरान्त जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
6. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।
7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुजाहिद उर्फ साजिद अपने चार वर्षीय पुत्र अरहम को मोटरसाइकिल से गाँव खरोट से नगला अलीपुर ला रहा था। आरोप है कि रास्ते में नामजद अभियुक्तगण एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने एक राय होकर उसे घेर लिया, रास्ता रोककर गाली-गलौज की तथा लाठी-डण्डों, लोहे की सरिया एवं फावड़ों से मारपीट की। शोर सुनकर बचाने आए सत्तार, श्रीमती सुमईयाँ एवं अन्य व्यक्तियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं।
8. सभी घायलों का चिकित्सीय परीक्षण सी.एच.सी. कोसीकलां में हुआ था। चिकित्सीय प्रपत्रों से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि चुटैलों को कारित अधिकांश चोटें साधारण प्रकृति की हैं। घटना के उपरान्त कराए गए अल्ट्रासाउण्ड में पीड़िता के गर्भ में पल रहा शिशु जीवित और सामान्य हृदय गति के साथ पाया गया था। विवेचक द्वारा चिकित्सक डॉ. गिरेन्द्र पाल से पीड़िता के भ्रूण के गर्भपात के संबंध में जानकारी करने पर चिकित्सक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान महिला स्टाफ से चैक कराया गया तो पीड़िता के

गर्भ से ब्लीडिंग हो रही थी। संभवतः गर्भपात चोट के कारण नहीं हुआ है क्योंकि दिनांक 13.04.2026 तक पीड़िता का भ्रूण जीवित था। डॉ. शिखा प्रोफेसर/हैड ऑफ डिपार्टमेंट प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, ने विवेचक को दिये अपने बयान में कथन किया है कि भ्रूण की मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें आनुवांशिक कारण भी होते हैं। विवेचक के प्रश्न किये जाने पर कि क्या भ्रूण की मृत्यु झगड़े में आयी चोटों के कारण भी हो सकता है, के उत्तर में साक्षी ने इस संबंध में कोई भी मत देने से इंकार किया कि भ्रूण की मृत्यु का सही कारण क्या है। अभियुक्त वृद्धावस्था का व्यक्ति है तथा दिनांक 04.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास हो अथवा आवेदक/अभियुक्त पूर्व दोषसिद्ध हो, ऐसा कोई तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण-दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तदुसार आवेदक/अभियुक्त **लियाकत पुत्र अकबर** द्वारा मुवलिग 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए-

- क- आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,
 - ख- आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,
 - ग- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,
 - घ- आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,
 - ङ- आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक:- 30.06.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03, मथुरा।
ID - UP6191